अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–653 / 2026

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार दिनांक 21.05.2026

1. शमा प्रवीण पुत्री मो0 सलीम अंसारी..... आवेदक

बनाम

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदिका की ओर से – हेना प्रवीण, विद्वान अधिवक्ता।
सूचिका की ओर से – श्री महेश प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी (राज्य) की ओर से – श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

21.05.2026

1. आवेदक / अभियुक्त **शमा प्रवीण** की तरफ से धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के तहत अग्रिम जमातन आवेदन लहेरियासराय थाना काण्ड संख्या 78 / 2025 अन्तर्गत धारा 126(2),352,351(2), 115,308(2),223,3(5) बी0एन0एस0, जो सुश्री शैल कुमारी न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित हैं, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया, जो सुनवाई के लिए इस न्यायालय के संचिका में हस्तानांतरित होकर प्राप्त हुआ।

2. उक्त आवेदन पर आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, सूचिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री अमरेन्द्र नारायण झा को सुना गया।

3. अभियोजन वाद का सारांश सूचक के अनुसार यह है कि दिनांक 06.02.2025 कोन्यायालय में तारीख पर गयी थी। न्यायालय में लौटने के क्रम में न्यायालय के बाहर बस स्टैण्डके रास्ते अपने पिता के साथ घर जा रही थी तभी उसके पति शबाज अकरम उर्फ आमिर एवं उसकी सास इश्मत आरा एवं 2–3 अज्ञात व्यक्ति आये और गंदी–गंदी गाली गलौज करने लगे तथा केस उठाने के लिए धमकी देने लगे, मना करने पर उसके साथ मारपीट करने लगे तथा चाकू का भय दिखाकर 2–3 स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिया। घर आयी तो उसकी भाभी मिदहत फातमा उसके साथ गाली गलौज किया तथा कहा कि तुम्हारा तलाक हो गया है, अब तुम जान से जाओगी। उसके पति का दूसरे लड़की से बातचीत रहता है।

4. आवेदिका / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका के द्वारा कोई भी अग्रिम जमानत अथवा जमानत आवेदन कहीं दाखिल नहीं किया गया है और ना ही खारिज किया गया है तथा ना ही जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। आवेदक बिल्कूल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरूद्ध एक कांड आपराधिक इतिहास है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक को व्यक्तिगत ईर्ष्या एवं द्वेष को लेकर इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदिका सरकारी कर्मचारी है तथा कानून को मानने वाली नागरिक है। इस वाद के सह–अभियुक्तों को ए0बी0पी0 सं0 1361 / 2025 एवं 1452 / 2025 से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। आवेदिका न्यायालय द्वारा लगाये गये शर्तो को पालन करने को तैयार है, ऐसी स्थिति में आवेदिका को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाए।

5. विद्वान लोक अभियोजक एवं सूचिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा खारिज करने का अनुरोध किया गया।

6. उभयपक्षों को सुना। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में धारा–126(2),352,351(2),115,308(2),223,3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया गया है तथा न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है। आवेदिका/अभियुक्त एवं सूचिका दोनों न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। आवेदिका शपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि उसका सूचिका के पति से कोई संबंध नहीं है तथा भविष्य में भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेगी तथा सूचिका के पति के साथ शादी भी नहीं करेगी। यदि कोई संबंध पायी जाती है तो उसका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा। आवेदन की कंडिका 3 के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका का एक कांड का आपराधिक इतिहास है जो सूचिका के द्वारा दर्ज करायी गयी है जिसमें वह जमानत पर है। इस वाद के सह–अभियुक्तों को ए0बी0पी0 सं0 1361/2025 एवं 1452/2025 से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। आवेदिका इस वाद के पीड़िता के पति के साथ कार्य करने वाली सहकर्मी है।

7. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदिका को कतिपय शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदिका/अभियुक्त **शमा प्रवीण** को धारा–482 बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अधीन निम्न न्यायालय में इस आदेश के प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में **10,000/– (दस हजार) रूपये** की राशि के दो समान प्रतिभूओं के साथ बंध पत्र देने पर इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है कि– एक जमानतदार करीबी संबंधी होगा।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

ह0/–
(उपेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्,
दरभंगा।

Date of Judgment/Order	21-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	21-05-2026
Uploading Date	25-05-2026
Uploaded by	Abhay Kumar(steno)